न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 32/2018 अपील

श्री रामलाल पिता नन्दराम कहार निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा –अपीलार्थी	बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार शाहपुरा प्रकरण सं. 49/2017 निर्णय दिनांक 04.01.2018 अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू. राज. अधिनियम

उपस्थित –

श्री बी. एल. वैष्णव अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से

श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 25.04.2019

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्व आदेश तहसीलदार शाहपुरा प्रकरण सं0 49/2017 निर्णय दिनांक 04.01.2018 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी सं. 6003 रकबा 1.73 हैक्ट. पर संवत् 2039 से लगातार अपीलार्थी के पिता नन्दा कहार का व उनके स्वर्गवास के बाद उनके उत्तराधिकारी अपीलार्थी व उसके भाई महावीर व सांवरमल का कब्जा चला आ रहा है। जिसमें मात्र अपीलाण्ट के विरूद्व कार्यवाही की गयी जो विधि व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। दिनांक 04.01.2018 को अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित कर दिया गया। प्रार्थी को निर्णय की जानकारी दिनांक 05.02.2018 को अखबार दैनिक भास्कर पढने पर हुयी। जिससे नकल दिनांक 09.02.2018 को प्राप्त होने पर अपील अन्दर अवधि पेश है। अतः निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करा अजसिरे से निर्णय कराने हेतु रिमाण्ड करायी जावे।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.02.2018 को पंजीबद्ध की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी सं. 6003 रकबा 1.73 हैक्ट. पर संवत् 2039 से लगातार अपीलार्थी के पिता नन्दा कहार का व उनके स्वर्गवास के बाद उनके उत्तराधिकारी अपीलार्थी व उसके भाई महावीर व सांवरमल का कब्जा चला आ रहा है। जिसमें मात्र अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही की गयी जो विधि व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। दिनांक 04.01.2018 को अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित कर दिया गया। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करा अजसिरे से निर्णय कराने हेतु रिमाण्ड करायी जावे।

अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि रामलाल पिता नन्दराम कहार निवासी शाहपुरा के द्वारा ग्राम शाहपुरा के आराजी नं. 6003 रकबा 1.73 हैक्ट. किस्म बारानी तृतीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण सं. 49/2017 दर्ज कर धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर रामलाल पिता नन्दराम कहार द्वारा पश्चातवर्ती अतिचार करने के कारण 03 माह के सिविल कारावास एवं शास्ति 100/-रू. से दिनांक 04.01.2018 को दण्डित किया गया है जो नियमानुसार है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर तहसीलदार शाहपुरा का निर्णय यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा के आराजी नं. 6003 रकबा 1.73 हैक्ट. भूमि राजस्व रिकार्ड में किस्म बारानी तृतीय दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार शाहपुरा के निर्णय अनुसार अतिक्रमी का उक्त आराजी नं. 6003 रकबा 1.73 हैक्ट. भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने से 03 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया हैं एवं 100/- शास्ति आरोपित की गयी। अतिक्रमी की देखा देखी कर अन्य व्यक्ति भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के प्रयासरत है ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी नं0 6003 रकबा 1.73 हैक्ट. भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ 03 माह के सिविल कारावास की सजा भुगताए जाने व उक्त भूमि के वार्षिक लगान का 50 गुणा आर्थिक जुर्माना कुल 100/— रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश भी पारित किया गया था। नियत पेशी दिनांक को अपीलान्ट बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। जिससे स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त चरनोट भूमि पर अनाधिकृत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का अपराध किया है।

ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा के आराजी नं. 6003 रकबा 1.73 हैक्ट. पर अपीलार्थी का अतिक्रमण होने से एवं अतिक्रमण स्थल अपीलार्थी के नाम नियमन योग्य नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश से दण्डित करते हुए शास्ति का आरोपण किया जाकर 03 माह के सिविल कारावास की सजा से व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का जो आदेश पारित किया गया हैं वह युक्तियुक्त होकर विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसमे कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाने योग्य हैं एवं अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है। अतएव—

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार शाहपुरा बमामले प्रकरण सं0 49/2017 निर्णय दिनांक 04.01.2018 के क्रम में खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय शाहपुरा का निर्णय दिनांक 04.01.2018 को यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)